

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज
कि किसी अन्य पाणीपती के नाम से।
समस्त विषय पत्र यांत्र एवं वाच
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राह : गृहीतर्थी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/समबद्धता/2012/ 5342

दिनांक: ०१.११.१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जैन महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2405121) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित सचिवित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थानी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थानी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत बिन्नाभुसार बिरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. योगेश उपाध्याय, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442841)
- (2) प्रो. एस.के. ठिंहं, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. कौ.एस. गुर्जर, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

बिरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेषम 27/28 के ग्रावाधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष बिरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्रधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्राप्तान-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम-आविनेश तथा पिछले सत्र में वी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की लियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्वर्गत बिरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर बिरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में बिरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। बिरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व बिरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद बिरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। बिरीक्षण की सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में बिरीक्षण बही करता है तो समिति स्वयं बिरीक्षण हो जावेगी और पुनः बिरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही बिरीक्षण समिति का पुर्वजल किया जावेगा। परिवेषम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

बिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यस्थल अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रकाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की स्थानीय समिति से बिरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। बिरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मास्रेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर बिरीक्षण दिनांक नियार्थित कर महाविद्यालय का बिरीक्षण करायें। उक्त बिरीक्षण 15 दिवस के अन्वर्गत कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सरपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव को जिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसंचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से सीधा जारी जा रहे हैं।
कि विस्तीर्ण अन्य पदाधिकारी के नाम हैं।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पञ्च
व्यवहार कुप्त हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाए जिससे सुधिता हो।



ग्राम : गूडीगिरी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(ग्वालियर)
2442462 (विवास)
फैक्टरी : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/5393

दिनांक : ०१/११/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की
बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (02) के विषयानुसार जैन महाविद्यालय, ग्वालियर
को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए. द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाइ
सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय में प्राचार्य तथा सभी शिक्षकों का अनुगोदन कार्यपरिषद से करवाया जाये।
2. सभी शिक्षक ए.आई.सी.टी.ई. तथा यू.जी.सी. बॉर्ड के अनुसार विद्युक्त किए जायें।
3. लाइब्रेरी में रु. 1 लाख की पुस्तकें क्रच की जायें।
4. कॉलेज कोड 27-28 का पालन करें।

आदेशानुसार

प्रति,

1. प्राचार्य, जैन महाविद्यालय, ग्वालियर
2. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी ऐल परिसर, इन्डप्रस्थ एस्टेट,
वर्द्ध दिल्ली
3. आयुर्वेद, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतापुड़ा भवन, ओपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल
परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यगाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र लघवार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बाम से ही किया जावे व
कि विद्यार्थी अब्द योग्यिकाठी के बाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
लघवार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा हो जावे जिससे सुविधा हो।



पात्र : यूलीवर्टीटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (विळास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwalli.edu/>

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5394

दिनांक : ०१/११/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपालिका की
बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (02) के विनायातुरार जैव महाविद्यालय, ग्वालियर
को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित श्री.एच. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निन्न
शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. श्री.एच. मानक के अनुरूप 28(17) में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाये।
2. महाविद्यालय में 28(17) में लाइब्रेरीयन एवं स्पोर्ट्सप्रॉफीसर की विद्युतित शीघ्र की जाये।
3. साइक्लोजी लैब में उपकरण की संख्या बढ़ाई जाये।
4. लाइब्रेरी में रिफ़ॅन्स बुक्स की संख्या बढ़ाई जाये।

आदेशानुसार
Zimh
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जैव महाविद्यालय, ग्वालियर
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला टिल्स, भोपाल
3. आयुक्त, नवायदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. लोकीय अतिवित संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा ओपरेटर) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संबत पत्र व्यवहार कूलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बवित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार दुःख हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
आवश्यक लिखा जावे जिससे संपत्ति हो।



ग्राम : जीवाजीरेडी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (जीवाजी)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiawaji.edu/

दिनांक : ५/११/१२

प्रेषक :
कूलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/५३७५

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की
वैष्ट्र दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार जैन महाविद्यालय, ग्वालियर
को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता विभव
शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्त/प्रतिबंध :-

1. शिक्षकों की नियुक्ति 28(17) में तत्काल कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।
2. ग्रन्थालय में रु. 25,000/- की मानक पुस्तकें क्र्य करें।
3. एक प्रोफेसर एवं एक ईडर की नियुक्ति भी 28(17) में कर विश्वविद्यालय को सूचित करें,
लाइब्रेरियन एवं स्पोर्ट आफीसर की नियुक्ति 28(17) में करें।
4. परिवियम 27,28 का पालन सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कूलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जैन महाविद्यालय, ग्वालियर
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सत्युजा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त सचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल
परिषद्, ग्वालियर।
5. उप-कूलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु।

सहायक कूलसचिव (सम्बद्धता)